न्यायालय अपर सैशन न्यायाधीश, क्रम 2, अजमेर (राज.)

पीठासीन अधिकारी – विकाससिंह चौधरी , आर.जे.एस
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

जमानत प्रार्थना पत्र सी.आई. एस. संख्या 275/2026

1–परमवीर सोनी पुत्र मुन्शीलाल सोनी, उम्र–26 वर्ष, निवासी आंतेड कच्ची बस्ती, छतरी योजना के पास माकडवाली रोड, वैशालीनगर, अजमेर।

––प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये अपर लोक अभियोजक, अजमेर –– अभियोगी

जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 भा.ना. सु. स.
प्रथमसूचना रिपोर्ट संख्या 97/2025 पुलिस थाना हरिभाउ उपाध्याय नगर, अजमेर अपराध अंतर्गत धारा115(2), 109(1), 303(2), 324(4)(5),189(2),111(2),61(2) बी.एन.एस.

उपस्थित

1– श्री कृष्ण गोपाल जोशी, विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2– श्री अशोक अग्रवाल, अपर लोक अभियोजक, राज्य की ओर से।

आदेश दिनांक 19–03–2026

1– प्रार्थी/अभियुक्त परमवीर सोनी की ओर से अधीनस्थ न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, संख्या 1, अजमेर के समक्ष दिनांक 27–02–2026 को प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 480 भा. नागरिक सुरक्षा संहिता बाद सुनवाई अस्वीकार कर खारिज किया गया । इसके उपरान्त प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जरिये अधिवक्ता श्रीमान जिला एवं सैशन न्यायाधीश, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसकी प्रति लोक अभियोजक को दिलवाई गई । उक्त जमानत आवेदन पत्र अंतरित किया जाकर सुनवाई एवं निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। उभय पक्षों की बहस सुनी गयी। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2– बहस के दौरान विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त का तर्क रहा है कि प्रार्थी निर्दोष है, उसे इस प्रकरण मे झूंठा लिप्त किया गया है। प्रार्थी से अब कोई बरामदगी शेष नहीं है। उनका यह भी कथन रहा है कि प्रकरण में प्रार्थी अनुसंधान पूर्ण हो चुका है। उनका यह भी कथन रहा है कि आहत के साथ की गयी मारपीट की उसे जानकारी नहीं रही है। वह आहत को जानता नही है, न ही उससे कभी मिला । प्रथमसूचना रिपोर्ट मे प्रार्थी का नाम अंकित नहीं रहा है। कुछ आपराधिक तत्वो ने अपने द्वेष को अंजाम देने के लिए उसे झूंठा फंसा दिया है। प्रकरण के अनुसंधान एवं विचारण मे समय लगने की संभावना है। प्रार्थी न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके प्रस्तुत करने हेतु तैयार है। अंत में जमानत आवेदन स्वीकार करने का निवेदन किया गया।

3– अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध करते हुए जमानत आवेदन खारिज करने का निवेदन किया गया।

4– उभय पक्षों के तर्को पर गंभीरतापूर्वक विचार किया गया । प्रकरण के सुसंगत तथ्य इस प्रकार से है कि परिवादिया इशिका नानकानी ने दिनांक 30–9–2025 को समय 5.45 पी.एम. पर आर्या अस्पताल, अजमेर में पुलिस थाना हरिभाउ उपाध्याय नगर के

Authenticated Document

थानाधिकारी को एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की प्रस्तुत की कि आज दिनांक 30-9-25 को उसका पति मनोज को 2.15 पी.एम. पर जगदीश रावत ने जमीन का नापचौख करने हेतु फोन करके नक्षत्र रेंजीडेंसी के पास बुलाया तो उसका पति अपनी कार संख्या आर.जे.01 सी एफ 2066 से अकेले गये, जहां जगदीश ने उसके पति को नाप चौक करने अंदर बुलाया तो जैसे ही वे अंदर गये तो उन पर जगदीश, छोटू, रतनी व दो तीन उनके परिवार की औरते व 4-5 अन्य लोगो ने अचानक सरियो व डंडो से जानलेवा हमला कर दिया, जिससे उसके पति जमीन पर गिर गये तो भी लगातार मारते रहे, जब उनको लगा कि वो मर गये है तब तक मारपीट करते रहे, उसके पति के हाथ मे पहना सोने का कडा व गले मे पहनी सोने की चैन निकाल ले गये, गाडी के कांच तोडकर नुकसान कारित किया। जब उसके पति को होश आया तो उसने अपने मित्र मोहित को सूचना दी व फिर दोस्त उनको आर्या अस्पातल ले गये, आदि उक्त रिपोर्ट के आधार पर पुलिस द्वारा मुकदमा दर्ज किया जाकर अनुसंधान आरम्भ किया गया व प्रकरण मे बाद अनुसंधान सह अभियुक्तगण के विरूद्व आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमे हस्तगत प्रार्थी व अन्य के विरूद्व अनुसंधान लंबित रखा गया व तत्पश्चात अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया व उसके विरूद्व अनुसंधान जारी है।

5- पत्रावली के अवलोकन से प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्व पूर्व मे निम्न आपराधिक प्रकरण पंजीबद्व रहे है।

क्रम सं.	मुकदमा सं.	थाना	धारा	विवरण
1	489/19	क्रिश्चयनगंज	341,323,34 भा.द.स.	राजीनामा
2	280/22	गंज	392 भा.द.स.	लंबित

6- अनुसंधान पत्रावली के अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी/ अभियुक्त ने अन्य सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर भूमि विवाद को लेकर आहत के साथ गम्भीर मारपीट की है। पुलिस द्वारा जो तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी, उसके अवलोकन से यह जाहिर आता है कि आहत के पैर व हाथ पर गम्भीर प्रकृति की उपहतियां कारित की गयी थी एवं आहत के एक पैर का विच्छेदन कर दिया । आहत का भीलवाडा स्थित अस्पताल मे इलाज होने बाबत दस्तावेज अनुसंधान पत्रावली मे सलंग्न है। प्रार्थी/ अभियुक्त के विरूद्व धारा 115(2), 109(1), 303(2), 324(4)(5), 189(2), 111(2), 61(2) बी.एन.एस.के अपराधो के आरोप है जो गम्भीर प्रकृति के रहे है। अतः प्रकरण के समस्त तथ्यों व परिस्थितियो को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/ अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

7- फलतः प्रार्थी/अभियुक्त परमवीर सोनी पुत्र मुंशीलाल की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

(विकास सिंह चौधरी)
अपर सैशन न्यायाधीश क्रम 2, अजमेर

8- आदेश आज दिनांक 19-03-2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

RAM AVTAR GOYAL Digitally signed by RAM AVTAR GOYAL Date: 2026.03.19 16:40:17 +0530

(विकास सिंह चौधरी)
अपर सैशन न्यायाधीश क्रम 2, अजमेर

Authenticated Document